न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 39/2020/ (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2020/00065

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी पीसाहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा (राज0)

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम

निर्णय दिनांक : 22/01/26

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी पीसाहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा (राज0)** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	74/2019	13 आरपीजीओ	58/25-5-2019	100 रू0 जुर्माना
2.	90/19	13 आरपीजीओ	80/27.6.2019	100 रू0 जुर्माना
3.	123/2019	13 आरपीजीओ	114/28-8-2019	100 रू0 जुर्माना
4.	06/2020	13 आरपीजीओ	03/10-01-2020	100 रू0 जुर्माना
5.	39/2020	13 आरपीजीओ	31/27-2-2020	100 रू0 जुर्माना

अतः **हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी पीसाहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा (राज0)** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल बाद नोटिस उपस्थित हुआ किन्तु प्रस्तुत कार्यवाही के संबध में कोई जवाब प्रस्तुत नही किया। गैरसायल लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित है। गैरसायल के लगातार अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही के संबध में कोई सुनवाई नही चाहता है।

अति० जिला कलक्टर
कोटा

गैरसायल के अपराधिक रेकार्ड व वर्तमान में चाल चलन की रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। थानाधिकारी देवली मांझी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल हीरालाल के विरूद्व वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक की अवधि के दौरान सट्टा काटने व जुआ खेलने की शिकायत गांव के लोगो के द्वारा प्राप्त होती रहती है तथा गैरसायल हीरालाल के विरूद्व इस्तागासा पेश करने के बाद 01 प्रकरण दर्ज हुआ है जो प्रकरण सं. 120/10.7.2023 धारा 13 आर.पी.जी.ओ. सीएस न. 112/14.7.2023 है। वर्तमान में गैरसायल का चाल चलन के बारे में ग्रामवासीयान् द्वारा बताया की गैरसायल जुआ खेलने व सट्टा लगाने का आदी है।

अतः थानाधिकारी **देवलीमांझी** द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी **देवलीमांझी** द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरूद्व 13 आर.पी.जी.ओ. की धारा मे 035 प्रकरण दर्ज हुए है सभी प्रकरणो मे गैरसायल को न्यायालय द्वारा जुर्माने से दण्डित किया गया है। तथा 01 प्रकरण इस्तगासा प्रस्तुत करने से पूर्व प्रस्तुत किया है।

अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिऐ पेरोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिऐ घातक होना कथन करते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ की धाराओ में दर्ज प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्व एंव दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गेरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुऐ गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार **हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी पीसाहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा (राज0)** राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 30 दिन के लिऐ **थाना देवली माझी** जिला कोटा की सीमा से **जिला झालावाड** के लिऐ निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते है। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियो की जानकारी **थानाधिकारी, खानपुर ,जिला झालावाड** को प्रस्तुत **थानाधिकारी, खानपुर ,जिला झालावाड** गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेगें। गैरसायल की उक्त 30 दिवस की निष्कासन अवधि 20 दिन पश्चात अर्थात **दिनांक** 13/01/**2026** से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना **देवलीमांझी** जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल : **हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति बैरवा निवासी पीसाहेडा थाना देवलीमांझी जिला कोटा (राज0)** को दिनांक 13/01/**2026** को पुलिस अभिरक्षा में थाना **देवलीमांझी** जिला–कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना, **खानपुर जिला झालावाड** की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेगें। थानाधिकारी, **थानाधिकारी, खानपुर जिला झालावाड** उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना देगे तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र **देवलीमांझी** जिला कोटा (ग्रामीण) में लोटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेगें।

निर्णय आज दिनांक 22/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा

मुद्रा